केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029

याचिका सं.178/टीएल/2024 दिनांक: 21.6.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

डब्ल्यूआरएसएस XXI (क) ट्रांसको लिमिटेड, अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णों देवी सर्किल के पास, एस जी हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद–382421 द्वारा आरटीएम रूट पर ''गुजरात में 765/400 केवी लकाडिया सब–स्टेशन (डब्ल्यूआरएसएस XXI(ए) ट्रांसको लिमिटेड) पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन–भाग क'' (इसके बाद 'पारेषण योजना/परियोजना' के रूप में संदर्भित) के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15, 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय–सीमा	अनुमानित लागत (₹ करोड़)	टिप्पणी
1.	गुजरात में 765/400 केवी लकाडिया सब–स्टेशन (डब्ल्यूआरएसएस XXI(ए) ट्रांसको लिमिटेड) पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन–भाग क अनंतिम कार्यान्वयन समय–सीमा: 18 मास (भरसक प्रयास आधार पर दिनांक 30.06.2025 तक)	142	डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांसको लिमिटेड द्वारा आरटीएम के अधीन कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित

योजना का विस्तृत दायरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का दायरा	क्षमता/किमी
1.	आरई अंतरसंयोजन के लिए 220 केवी लाइन बे के साथ लकाडिया 765/400 केवी सबस्टेशन पर 220 केवी स्विचयार्ड का निर्माण	220 केवी स्विचयार्ड एवं 220केवी लाइन बे – 2 नंबर 220 केवी बस कप्लर – 1 नंबर 220 केवी ट्रांसफर बस कप्लर – 1 नंबर
2.	संबद्ध आईसीटी बे के साथ लकाडिया पीएस पर 2x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (प्रथम एवं द्वितीय) का संस्थापन	400/220 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी – 2 नंबर 400 केवी बे – 2 नंबर 220 केवी बे – 2 नंबर संबद्ध 400 केवी बस बार एक्सटेंशन

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 14.5.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली को स्थापित करने के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 178/टीएल/2024 में दिनांक 21.6.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांसको लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंधों एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **2.7.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **4.7.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव